<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3488

15 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय स्वीकृति

3488. श्री दीपक बैजः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के बछेली/दंतेवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी) की खान संख्या-13 को सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण हेतु काटे जाने की अनुमति दिये गये पेड़ों की संख्या कितनी है; और

(ख) पेड़ों की कटाई के बाद पुनः वनरोपण के संबंध में मंत्रालय की नीति क्या है और क्या एनएमडीसी ने इसका अनुपालन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): वृक्षों की संख्या 25,400 है।

(ख): पुनः वनरोपण के लिए इस्पात मंत्रालय की अपनी कोई नीति नहीं है। एफसी अधिनियम, 1980 के तहत वन मंजूरी के चरण-। और ॥ में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए जारी शर्तों/अनुदेशों का एनएमडीसी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। डायवर्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित वनक्षेत्र से दुगुनी सीमा तक खराब वनभूमि पर वनरोपण चरण-॥ की मंजूरी की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अंदर करना है और उसके बाद प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर राज्य वन विभाग के परामर्श से अनुमोदित योजना के अनुसार रख-रखाव करना है। एनएमडीसी ने प्रतिपूरक वनरोपण के लिए सीएएमपीए खाते में पहले ही 41,70,27,908 (इकतालीस करोड़ सत्तर लाख सत्ताईस हजार नौ सौ आठ रुपये मात्र) जमा करवा दिए हैं।

****